तारीख हुक्म	न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मु. न. 1/117 ता. रज्जू : 16.9.15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 RTAct

उनवान :- बाबूलाल V/s कन्हैयालाल

लोक अदालत केम्प कोर्ट : पृथ्वीपुरा

दिनांक 29.5.17

प्रारम्भिक निर्णय

वादी वकील ने एक वाद तकासमा एवम स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया कि आराजी ख. न. 783 रकबा 0.19, 1191/0.40, 1209/0.19, 1212/0.15 507/0.02, 510/0.53, 511/0.71, खातेदारी की, एवम गैरखातेदारी कस्टोडियन की आराजी ख. न 444/1-53, 445/0.71, 498/0.58 ग्राम पृथ्वीपुरा तह. मालाखेड़ा जिला अलवर मे से ख. न. 783, 1191, 1209, 1212, 444, 445, 498 का 1/4 भाग व ख. न. 507, 510, 511, का 1/5 भाग मोती पुत्र मंगला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका निधन हो चुका है जिसको का इन्तकाल दर्ज नही हुआ है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 है। ख. न 507, 510, 511 का 1/5 भाग तीजा बेवा मंगला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसका भी निधन हो चुका है तथा वादी व असल प्रतिवादी सं. 1 लगा. 9 वारिसान है। जिसका भी इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। इस प्रकार से विवादित आराजी मे से वादी 1/4 भाग का, व प्रतिवादी सं. 2-3 प्रत्येक 1/4-1/4 भाग के व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 9 भी 1/4 भाग के खातेदार काबिज काश्तकार है। इसी तरह से शामलात मे काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अभी विभाजन नही हुआ है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आज पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट पृथ्वीपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उप० होकर एक राजीनामा प्र०प० पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है हमारे बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। हम इस बात पर सहमत है कि हमारी रामलाती खातेदारी की भूमि का विभाजन-रिकॉर्ड व मौका के अनुसार रास्ते का प्रावधान करते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन कर दिया जावे हम सभी सहमत है।

वाद पत्र की आर्डर शीट पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षरों अंगूठा निशानी कराए गए, जिनकी पहचान श्रीमति सीमा जाट पटवारी ह० ने की।

अतः पक्षकारान के राजीनामा प्र०प० के आधार पर वाद में प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार मालारेडा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पृथ्वीपुरा के अ खातेदारी की आराजी ख०नं० 783, 1191, 1209 1212 किता 4 कुल रकबा 0.93 है, एवम 507, 510, 511 कुल किता 3 कुल रकबा 1-26 हैक्टर का मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर रिकॉर्ड में हिस्सों के अनुसार, मौके पर कब्जे अनुसार एवम रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुए प्रेषित करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.5.15 को केम्प कोर्ट पृथ्वीपुरा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर